समाहरणालय, गोड्डा

(जिला भू–अर्जन शाखा)
E-Mail- goddadlao@gmail.com

–: आदेश :–

The Right to fair compenensation and transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement act, 2013 की धारा– 04 अंतर्गत अदानी पावर (झारखंड) लिमिटेड, गोड्डा के 1600MW ताप विद्युत परियोजना हेतु अंचल गोड्डा ग्राम– मोतिया, पटवा, गंगटा, नयाबाद एवं अंचल पोड़ैयाहाट ग्राम– सोनडीहा, रेंगानियॉ, बलियाकित्ता, पेटवी, गायघाट, माली में अधिगृहित कुल रकवा– 2120.59 एकड़ के लिए सामाजिक प्रभाव के मूल्यांकन का कार्य ए0एफ0सी0 इंडिया लिमिटेड, मुम्बई के द्वारा करने के उपरांत प्रतिवेदन समर्पित किया गया है।

सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन समर्पित होने के उपरांत The Right to fair compenensation and transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement act, 2013 की धारा– 07 के आलोक में सामाजिक वैज्ञानिक (Social Scientist), पुनर्वास विशेषज्ञ (Expert on Rehabilitation), ग्राम पंचायत प्रतिनिधि तथा परियोजना विशेषज्ञ सहित विशेषज्ञ समूह (Expert Group) की गठन का प्रावधान है।

भू–अर्जन अधिनियम 2013 के धारा– 07 के आलोक में विभागों एवं संस्थाओं से सामाजिक वैज्ञानिक (Social Scientist) एवं पुर्नवास विशेषज्ञ (Expert on Rehabilitation) एवं ग्राम पंचायत प्रतिनिधि तथा परियोजना विशेषज्ञ के रूप में प्राप्त सूची से अदानी पावर (झारखंड) लिमिटेड के प्रस्तावित परियोजना 1600MW ताप विद्युत संयंत्र की स्थापना हेतु प्राप्त सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन के मूल्यांकन हेतु विशेषज्ञ समूह (Expert Group) के सदस्य के रूप में एक समिति गठित की जाती है।

विशेषज्ञ समूह (Expert Group) निम्नप्रकार है :–

i पंचायत प्रतिनिधि –

1. श्री हेमंत कुमार, मुखिया–सह–पंचायत प्रतिनिधि, बकसरा पंचायत – अध्यक्ष
2. श्रीमति डेजी देवी, उपमुखिया–सह–पंचायत प्रतिनिधि, मोतिया पंचायत – सदस्य

ii सामाजिक वैज्ञानिक –

3. डा0 हरीश्वर दयाल, अर्थशास्त्र विभाग, संत जेवियर्स महाविद्यालय राँची – सदस्य
4. डा0 हिमाद्री सिन्हा, सामाजिक वैज्ञानिक, संत जेवियर्स महाविद्यालय राँची – सदस्य

iii पुनर्वास विशेषज्ञ –

5. डा0 अविनाश चन्द्र मिश्रा, विभागाध्यक्ष,
   विश्वविद्यालय मानव विज्ञान विभाग, राँची विश्वविद्यालय, राँची – सदस्य
6. श्री सुशील कुमार ओझा, एम0बी0ए0, पी0जी0एच0आर0,
   वेवकॉन कनशलटिंग इंडिया लिमिटेड, कोलकाता – सदस्य

Aminash 28/12/2016.

iv तकनीकी विशेषज्ञ –

7. श्री दिनेश कुमार, परियोजना विशेषज्ञ, बी0ई0, विद्युत महाप्रबंधक, अदानी पावर (झा0) लिमिटेड, जयवाटिका के समीप सरकंडा चौक, गोड्डा – सदस्य

विशेषज्ञ समूह के द्वारा दो महीने के अंदर सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन की समीक्षा कर निम्नलिखित बिन्दुओं पर अपना प्रतिवेदन The Right to fair compenensation and transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement act, 2013 के आलोक में मंतव्य सहित समर्पित किया जाएगा।

1. परियोजना लोक प्रयोजन के उद्देश्य को पूरा करती है अथवा नही के संबंध में।
2. सामाजिक मूल्य एवं सामाजिक प्रभाव के कुप्रभाव अथवा लाभ के संबंध में।
3. अन्य प्रतिवेदन/मंतव्य जो विशेषज्ञ समूह (Expert Group) आवश्यक समझती है।

विशेषज्ञ समूह दिनांक– 06.01.2017 से 12.01.2017 तक पूर्वाहन 11:00 बजे से 04:00 बजे अपराहन भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, गोड्डा के कार्यालय प्रकोष्ट में विशेषज्ञ समूह के अध्यक्ष की अध्यक्षता में इस संबध में समीक्षा करेगी एवं आवश्यकतानुसार संबंधित अंचल में भ्रमण करेगी।

उपायुक्त,
गोड्डा

ज्ञापांक : 909 /भू0अ0 गोड्डा दिनांक : 27/12/2016

प्रतिलिपि :– कुलपति राँची विश्वविद्यालय, राँची/सलाहकार, मेसर्स वेबकॉन कंशल्टिंग, इंडिया लिमिटेड, कोलकाता को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– विशेषज्ञ समूह के सभी अध्यक्ष/सदस्य को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– प्रशासक–सह–अपर समाहर्त्ता, गोड्डा/अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा/जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, गोड्डा/भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, गोड्डा को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, गोड्डा को सूचनार्थ प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि आदेश की प्रति को गोड्डा जिले के वेवसाइट पर प्रकाशित करना सुनिश्चित करेंगे।

प्रतिलिपि :– अंचल अधिकारी, गोड्डा/पोड़ैयाहाट को सूचनार्थ प्रेषित। निदेश है कि विशेषज्ञ समूह को आवश्यक सहयोग प्रदान करना सुनिश्चित करेंगे।

प्रतिलिपि :– वरीय उपाध्यक्ष, अदानी पावर (झारखंड) लिमिटेड, गोड्डा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

उपायुक्त,
गोड्डा।